



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-346

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 316246 दिनांक 16/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Punam Chand Singhi S/o DULI CHAND SINGHI	श्रीमती रेशमा देवी सिंधी पत्नी श्री पूनम चन्द सिंधी	44	252.77 SQ. YARD	Cooperative	GAYATRI NAGAR (SUBHASH SINDI C.S.U)	Sub Division and Reconstitution	आवेदक श्री पूनम चन्द सिंधी पुत्र श्री दुलीचन्द खिंची द्वारा सुभाष सिंधी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० की योजना गायत्री नगर के आवासीय भूखण्ड संख्या 44 क्षेत्रफल 252.77 वर्ग मी में से (नोर्थ पार्ट) क्षेत्रफल 108.33 वर्ग मी का उपविभाजन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा दिनांक 28.03.2005 को श्रीमती रेशमा देवी सिंधी पत्नी श्री पूनम चन्द सिंधी के नाम जारी किया गया था। लीजधारक द्वारा भूखण्ड संख्या 44 क्षेत्रफल 252.77 वर्ग मी में से



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								(दक्षिणी हिस्सा) क्षेत्रफल 144.44 व0ग0 को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.10.2016 के माध्यम से श्रीमती सुनीता जैन पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जैन को बेचान किया गया है। लीजधारक रेशमा देवी सिंधी की मृत्यु दिनांक 25.10.2024 को हो चुकी है। लीजधारक की मृत्यु के पश्चात इनके विधिक वारिस क्रमशः 1. श्री पूनम चन्द सिंधी (पति), 2. श्री नरेन्द्र जैन (पुत्र), 3. श्रीमती तारा बेंद (पुत्री) है। तत्पश्चात श्री नरेन्द्र जैन एवं श्रीमती तारा बेंद द्वारा भूखण्ड संख्या 44 क्षेत्रफल 252.77 व0ग0 में से (उत्तरी हिस्सा) क्षेत्रफल 108.33 व0ग0 को पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 09.07.2026 के माध्यम से अपने पिताजी श्री पूनम चन्द सिंधी के पक्ष में हकत्याग निष्पादित किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Punam Chand Singhi S/o DULI CHAND SINGHI को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |